न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
देवीलाल बनाम राज.सरकार
GCMS No- 2023/223
प्रकरण संख्या – 79 / 2023

न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 79 / 2023
जीसीएमएस न0 2023 / 223

1. देवीलाल पुत्र मांगीलालजी जाति भील निवारी नरसिंहगढ़ तह० निम्बोहडा जिला चित्तौडगढ

– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय ::

दिनांक 16.10.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की पुश्तैनी पैतृक आराजियात वाके ग्राम नरसिंहगढ पटवार हल्का बाडी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० के खाता सं० 85 की आराजी नं0 294 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गे०मु०चाह, आराजी नं0 295 रकबा 0.7400 हे०, आराजी नं0 296 रकबा 1.1400 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.890 हैक्टैयर भूमि स्थित हैं।

2. वादग्रस्त आराजियात संवत् 2056–2059 में वादी के नाना प्यारा पिता नंगाजी भील निवासी नरसिंहगढ के खातेदारी मे दज चली आ रही थी, तथा प्याराजी के देहान्त के बाद उक्त भूमि विरासत से प्यारा की पुत्री बगदीबाई पिता प्यारा व उनकी बेवा गुलाबीबाई पत्नि प्यारा भील के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हुई और उक्त भूमि सेटलमेन्ट से पहले संवत् 2060–2063 में खाता संख्या 97 में सही रुप से दर्ज चली आ रही थी तथा राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से सेटलमेन्ट के दौरान वादी की माता बगदीबाई जो प्यारा जी की पुत्री थी को संवत् 2067–2070 के जमाबंदी रोटेशन में बगदीबाई पिता प्यारा के बजाए बगदीबाई पत्नि प्यारा दर्ज कर दिया जबकि बगदीबाई, प्यारा जी की पुत्री थी और मांगीलालजी की पत्नि थी। बगदीबाई के देहान्त के बाद संवत् 2069–2072 के जमाबंदी रेकार्ड में विरासत से प्रार्थी का नाम देवीलाल माता बगदीबाई पुत्र मांगीलालजी जाति भील निवासी नरसिंहगढ़ के नाम 1 / 2 हिस्से में दर्ज हुई जिसका संवत् 2073–2076 के जमाबंदी रोटेशन में प्रार्थी की माता बगदीबाई दर्ज था परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से प्रार्थी के पिता का नाम मांगीलाल के बजाए प्यारा अंकित कर दिया जबकि प्याराजी प्रार्थी के नाना थे, जो राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह [illegible] बंदी रोटेशन में प्रार्थी के पिता का नाम मांगीलाल के बजाए प्यारा [illegible] किया है। इसलिए प्रार्थी नवीन राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम प्यारा के [illegible] मांगीलाल दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में तरमीम कर, इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना न्याय हित में आवश्यक हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:28:02 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात में प्रार्थी के पिता का नाम प्यारा के बजाए मांगीलाल दर्ज कर नवीन राजस्व रेकार्ड में देवीलाल पुत्र मांगीलालजी जाति भील निवासी नरसिंहगढ़ तरमीम कर इन्द्राज दुरुस्त किये जाने की कृपा करावें। ताईद मे शपथ पत्र पेश हैं।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्णित आराजी नं0 294, 295, 296 मौजा नरसिंहगढ़ में खातेदार श्री गुलाबीबाई पत्नि प्यारा 1/2 भील सा. देह, देवीलाल पुत्र प्यारा 1/2 भील सा. देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। जमाबन्दी संवत् 2069–72 में नामान्तरण संख्या 148 से बगदीबाई का विरासत का नामान्तरण से बगदीबाई के स्थान पर देवीलाल माता बगदीबाई भील के नाम दर्ज हुआ। वर्तमान जमाबन्दी में आया देवीलाल पिता प्यारा 1/2 भील लिपिकीय त्रुटी से आया है। अतः राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी नकल संवत् 2069–72, 2073–76 अनुसार मौजा नरसिंहगढ़ के आराजी नम्बर 294, 295, 296 में देवीलाल पिता प्यारा 1/2 भील सा.देह के बजाय देवीलाल माता बगदीबाई भील 1/2 दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।

5. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> *136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties*

7. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान हैं। प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के संबंध में त्रुटिपूर्ण प्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:28:02 IST
Reason: SelfAttested

8. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है वादग्रस्त आराजियात संवत् 2056–2059 की जमाबंदी खाता संख्या 85 प्रार्थी के नाना प्यारा पिता नंगाजी भील निवासी नरसिंहगढ़ के नाम दर्ज चली आ रही थी। प्यारा जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि उनकी पुत्री बगदीबाई पिता प्यारा व उनकी बेवा गुलाबीबाई पत्नी प्यारा के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हुई। संवत् 2067–2070 के जमाबंदी रोटेशन में प्रार्थी की माता का नाम बगदीबाई पिता प्यारा के बजाय बगदीबाई पत्नी मांगीलाल दर्ज हो गया जबकि बगदीबाई प्यारा जी की पुत्री है। जमाबंदी 2073–2076 में लिपिकीय त्रुटि की गलती की वजह से प्रार्थी के पिता का नाम मांगीलाल के बजाय प्यारा दर्ज कर दिया जिसे प्रार्थी के पिता का नाम प्यारा के बजाय मांगीलाल तरमीम कर इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि मौजा नरसिंहगढ़ के आराजी नम्बर 294, 295, 296 में देवीलाल पिता प्यारा 1/2 भील सा. देह के बजाय देवीलाल माता बगदीबाई पिता मांगीलाल भील 1/2 दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त प्रस्तावित मौका रिपोर्ट अनुसार राजस्व रेकार्ड में तरमीम की जावें। शेष खाता बदस्तुर रहेगा । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विकास पंचोली)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:28:02 IST
Reason: SelfAttested